सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. RAJESH
DIRECTOR
TELFAX : 23361247

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
220, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
220, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

No. C/16/2009-MPLADS Dated **18.05.2010**

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: Provision of additional funds under the MPLAD Scheme to tribal areas – regarding.

The para 2.5 of the MPLADS Guidelines provides for MPs to recommend works costing atleast 15% and 7.5% of their annual MPLADS funds, for areas inhabited by Scheduled Caste and Scheduled Tribe population respectively, towards infrastructural development. However, sometimes due to low tribal population in many constituencies, the earmarked funds for the benefit of tribal people are not fully utilized. In the present scenario, when the Government of India is giving a thrust to increase the pace of development in the tribal areas of the country and improve the lot of the tribal population, this Ministry has also felt the need for the MPLAD Scheme to further contribute towards this effort by creating more community utility asset for the tribal people of the country. Also, recently there have been demands to increase the funds for infrastructural development in such areas by providing additional funds to those Trusts/Societies which have been working for the betterment of the tribal population.

2. In view of the above, it has been decided to introduce the following measures in order to facilitate provision of more public utility assets to the tribal population under the MPLAD Scheme :-

(i) In case there is no sufficient tribal population in the constituency of the Lok Sabha Members of Parliament, they are now permitted to recommend upto 7.5% of their annual entitlement earmarked for creation of community assets for the Scheduled Tribe areas, **in areas where such population is available outside their**

constituencies but within their state of election. The creation of community assets can be recommended only in the notified CD Blocks with more than 50% tribal population, and primarily for the benefit of the tribal people.

(ii) In order to encourage these Trusts/Societies to work for the betterment of the tribal people and provide a fillip to the developmental activities in the tribal areas, **the present ceiling of Rs.25 lakh stipulated for recommending public utility building assets for Trusts/Societies in para 3.21 of the Guidelines, is now increased by 50%, i.e. the new limit is now Rs. 37.50 lakh instead of Rs. 25 lakh, under the following conditions:-**

- **The additional fund of Rs.12.50 lakh would be permitted only for undertaking community utility building works for primarily the benefit of tribal people exclusively in the notified tribal CD Blocks with more than 50% tribal population.**
- **The works undertaken and the beneficiary Trust/Society should otherwise satisfy all other conditions of the MPLADS Guidelines.**

Yours faithfully,

RRajesh

(R. Rajesh)
Director

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha)
2. Secretaries, Nodal Departments of MPLADS (All States/UTs).
3. Director, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. NIC, MOSPI and all concerned in the MPLADS Division.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. RAJESH
DIRECTOR
TELFAX : 23361247

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
220, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
220, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सं.सी/16/2009-एमपीलैड्स

Dated 18.05.2010

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः जनजातीय क्षेत्रों के लिए एमपीलैड योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधि का प्रावधान ।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 2.5 में सांसदों के लिए यह प्रावधान है कि वे अवसंरचनात्मक विकास के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए अपनी वार्षिक एमपीलैड्स निधि से क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अनुशंसा करें । तथापि, कभी-कभी अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या कम होने के कारण, जनजातीय लोगों के लाभ के लिए निर्धारित निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं होता है । ऐसी मौजूदा स्थिति में, जब कि भारत सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने तथा जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार पर बल दे रही है, इस मंत्रालय ने भी इस जरूरत को अनुभव किया है कि एमपीलैड योजना भी देश के जनजातीय लोगों के लिए सामुदायिक उपयोग की अधिक परिसंपत्तियों का निर्माण करके इस प्रयास में और योगदान दे । इसके अतिरिक्त, हाल में ऐसी मांग की जाती रही है कि जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे न्यासों/सोसाइटियों को अतिरिक्त निधि प्रदान करके ऐसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निधि को बढ़ाया जाए ।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमपीलैड योजना के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए सामुदायिक उपयोग की अधिक पारिसंपत्तियों के प्रावधान को सुसाध्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) यदि लोक सभा सांसद के निर्वाचन-क्षेत्र में पर्याप्त जनजातीय जनसंख्या नहीं है, तो अब **उन्हें उन क्षेत्रों में, जहां ऐसी जनसंख्या उनके निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर है किंतु उनके निर्वाचन-राज्य के भीतर है**, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निर्धारित अपनी वार्षिक पात्रता से 7.5 प्रतिशत तक की अनुशंसा करने की अनुमति दी जाती है । **सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुशंसा केवल 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अधिसूचित**

सीडी ब्लॉकों में और मुख्यतः जनजातीय लोगों के लाभ के लिए ही की जा सकती है ।

(ii) जनजातीय लोगों की बेहतरी हेतु कार्य करने के लिए इन न्यासों/सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए, **दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 में न्यासों/सोसाइटियों के लिए सार्वजनिक उपयोग की भवन परिसंपत्तियों की अनुशंसा करने के लिए 25 लाख रु. की वर्तमान निर्धारित सीमा को अब 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, अर्थात् अब नई सीमा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 25 लाख रु. के स्थान पर 37.50 लाख रु. है:-**

- **12.50 लाख रु. की अतिरिक्त निधि की अनुमति, 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अधिसूचित जनजाति सीडी ब्लॉकों में पूरी तरह मुख्यतः जनजातीय लोगों के लाभ के लिए सामुदायिक उपयोगिता के भवन कार्य शुरु करने के लिए ही दी जाएगी ।**
- **शुरु किए गए कार्यों तथा लाभग्राही न्यास/सोसाइटी को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्यथा अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी ।**

भवदीय,

आर. राजेश

(आर. राजेश)
निदेशक(एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स नोडल विभाग(सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एनआईसी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एमपीलैड्स डिवीजन में सभी संबंधित ।